उत्तर प्रदेश शासन

मुख्य मंत्री कार्यालय अनुभाग-3

घोषणा-प्रकोष्ठ

संख्या-मुमस-200/चौ0प्र0-3/अधि0 2008

लखनऊ: दिनांक 30 जून 2008

समस्त प्रमुख सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

कृपया मा0 मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश द्वारा की गई घोषणाओं के क्रियान्वयन एवं समीक्षा के सम्बन्ध में निर्गत आदेश संख्या मुमस/128/चौ0प्र0-3/अधि0/2008, लखनऊ: दिनांक 21 मई, 2008 का संदर्भ ग्रहण करें।

उपर्युक्त आदेश में यह अपेक्षा की गई थी कि समस्त प्रमुख सचिव अपने विभागों से सम्बन्धित घोषणाओं की कम से कम एक पक्ष में एक बार समीक्षा करेंगे। उपलब्ध सूचना के अनुसार कुछ विभागों में यह समीक्षा की गई है, जबकि अन्य विभागों में अभी तक एक भी समीक्षा नहीं की गई हैं, जो गम्भीरता का विषय है।

आपसे पुनः अपेक्षा है कि मा0 मुख्य मंत्री जी की घोषणाओं के क्रियान्वयन को शीर्ष प्राथमिकता दें तथा इसमें तीव्र गति से कार्यवाही सुनिश्चित कराएं।

यह भी निर्देश दिए जाते हैं कि मा0 मुख्य मंत्री जी की घोषणाओं के अनुश्रवण का कार्य किसी भी दशा में सम्बन्धित प्रमुख सचिव द्वारा सचिवालय स्तर पर अपने अधीनस्थ सचिव अथवा विशेष सचिव को प्रतिनिधानित न किया जाए।

मुख्य मंत्री कार्यालय को भेजी जाने वाली पाक्षिक रिपोर्ट सभी प्रमुख सचिव प्रत्येक माह की 3 तारीख तथा 18 तारीख तक अपने हस्ताक्षर से भेजेंगे तथा कनिष्ठ अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित प्रगति रिपोर्ट मुख्य मंत्री कार्यालय में स्वीकार नहीं की जायेगी।

मुख्य मंत्री कार्यालय में सम्बन्धित प्रमुख सचिव, मुख्य मंत्री की [illegible] सम्बन्धी बैठकों में विभागीय प्रमुख सचिव स्वयं भाग लेंगे और विभागीय प्रमुख सचिव लखनऊ से बाहर हैं, तो वे सचिव स्तर के अधिकारी को बैठक में भेज सकते हैं [illegible] प्रमुख सचिव के हस्ताक्षर से ही मुख्य मंत्री कार्यालय में [illegible]

कृपया उपरोक्त आदेशों का अनुपालन प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

(शशांक शेखर सिंह)
मंत्रि-मण्डलीय सचिव।

संख्या-मुमस/266(i)/अधि0/घो0/2008- तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निजी सचिव, मुख्य सचिव/ मंत्रि-मण्डलीय सचिव, उ0प्र0 शासन।

2- समस्त प्रमुख सचिव, मुख्य मंत्री।

3- समस्त सचिव/विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/ अनुसचिव, मुख्य मंत्री।

4- मुख्य मंत्री कार्यालय अनुभाग-3 (घोषणा- प्रकोष्ठ)।

(वी0एन0 गर्ग)
प्रमुख सचिव, मुख्य मंत्री।